न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 116 / 2022

फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 702, सेवन्थ फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नम्बर 13—14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर— 302021 जरिये प्रधिकृत अधिकारी गौरव कुमावत

—— प्रार्थी

बनाम

1. हरिराम गुप्ता पुत्र श्री मालीराम गुप्ता (ऋणी) पता वार्ड नम्बर 4, अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं—333029
2. आकाश गुप्ता पुत्र हरिराम गुप्ता (सहऋणी) पता वार्ड नम्बर 4, अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं—333029
3. पदन कुमार पुत्र मालीराम गुप्ता (सहऋणी) पता वार्ड नम्बर 4, अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं—333029
4. श्रीमती रेणू गुप्ता पत्नि हरिराम गुप्ता (सहऋणी) पता वार्ड नम्बर 4, अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं—333029
5. राधेश्याम गुप्ता पुत्र मालीराम गुप्ता (सहऋणी) पता वार्ड नम्बर 4, अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं—333029
6. मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता (सहऋणी) पता वार्ड नम्बर 4, अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं—333029
7. सुल्तान राम सैनी पुत्र श्री रिछपाल सैनी (गारन्टर) पता 170, मौहल्ला मालिया रामपुरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर—332709

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा— प्रार्थी की ओर से
2. एडवोकेट श्री मनोज कुमार शर्मा— अप्रार्थी सं0 1 व 3 लगायत 6 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं0 2 व 7 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र (Last audited balance sheet) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—झ के खंड (च) में यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपये से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार के वित मंत्रालय (वित्तीय सेवायें विभाग) द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का0आ0 (अ) एवं दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का0आ0 652 (अ) के द्वारा बीस लाख रूपये और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध मे प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 2 के खण्ड (ड) के उप

जिला कलक्टर झुन्झुनू

खण्ड (iv) के तहत वित्तीय संस्था प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्था के रूप मे विनिर्दिष्ट किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था के साथ दिनांक 21.12.2017 ऋण अनुबन्ध संख्या FISKLALONS00000500833 निष्पादित कर रूपये 20,99,947/– (अक्षरे बीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सैंतालीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अपने स्वामित्व की अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे साम्यिक बंधक किया हुआ है। जिसका वर्णन निम्न प्रकार हैः–

बंधक सम्पत्ति का विवरण
हरिराम गुप्ता, पवन कुमार व राधेश्याम गुप्ता की अचल सम्पत्ति जो कि आवासीय मकान, वार्ड नम्बर, सूरजगढ अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार हैः– पूर्व मेः– रोड पश्चिम मेः– मण्डी चौक उत्तर मेः– रामभगत की दुकान दक्षिण मेः– रूडमल की दुकान व मकान

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान मे व्यतिक्रम व अतिक्रेय होने पर ऋण खाता को दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अक्रियान्वित आस्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता मे बकाया रूपये 20,25,399/– (अक्षरे बीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ निन्यानवें रूपये मात्र) दिनांक 24.12.2021 तक शेष देय है व दिनांक 25.12.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 04.01.2022 को डिमाण्ड नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया एवं डिमाण्ड नोटिस का सार दो समाचार पत्रों मे प्रकाशित भी करवाया गया जिसके बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि मे उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही किया। अप्रार्थीगण द्वारा मियाद अवधि 60 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही किया है। अतः उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त चरण संख्या 3 मे वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त बकाया देय राशि को वसूलने की अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 3 मे वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति पर ताले लगे होने की स्थिति मे सम्पत्ति पर लगे तालों को तोडा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमायें जाने की कृपा करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Balkrishna Rama Tarle Thr LRS & Anr. Versus Phoenix ARC Private Limited & Ors. Special [illegible] Petition No. 16013 of 2022 के अनुसार बकाया ऋण की वसूली के लिए अलग–अलग न्याया[illegible] [illegible]सूली की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे ही न्यायिक दृष्टान्त अन्य उच्च न्याया[illegible] के भी रहे है। [illegible] वसूली के संबध मे अप्रार्थीगण इस न्यायालय मे आपत्ति पेश नही कर सकते है [illegible] के अनुसार आरबीट्रेशन के साथ–साथ धारा 14 की कार्यवाही चल सकती है। [illegible] स्थगन आदेश नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 16:43:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

अप्रार्थी सं0 2 व 7 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 व 7 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 व 3 लगायत 6 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा कॉमर्शियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जयपुर मेट्रो द्वितीय मे अपील कर रखी है जो स्थगन की तारीफ मे आती है। प्रार्थी ने न्यायालय CMM ACMM जयपुर मेट्रो हैडक्वाटर द्वितीय मे एनआई एक्ट की धारा 138 मे मुकदमा कर रखा है। प्रार्थी अन्य न्यायालयों मे अलग–अलग वाद विचाराधीन रहते हुए धारा 14 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे वसूली के लिए वाद दायर नही कर सकता है। अप्रार्थीगण को एक ही अपराध के लिए अलग–अलग कई सजायें नही दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध नही है कि एक प्रकरण मे वसूली के लिए अलग–अलग न्यायालयों मे वाद विचाराधीन होने पर प्रार्थी इस एक्ट की धारा 14 मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाद सुनवाई खारीज किया जाता है। पत्रावली मे अन्तिम निर्णय के लिए पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 कमशः 1, 3 व 5 हरिराम गुप्ता, पवन कुमार व राधेश्याम गुप्ता के मालिकाना हक की आवासीय मकान, वार्ड नम्बर, सूरजगढ अनाज मण्डी, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी साम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेफल 324 वर्गगज है का पजेशन प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के खर्चे पर जरूरी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:29 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू